

राजस्थान-सरकार,
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।
क्रमांक: नर्सिंग/पदौ0/नर्स-1/(एफ-138)/17/

दिनांक:

:: आदेश ::

राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं संशोधित नियम 3.6.82 के नियम 23 व 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक- 28.02.15 की सिफारिश पर निम्नांकित नर्स-द्वितीय को उनके नाम के सम्मुख अंकित डीपीसी वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध चयन करते हुये निर्धारित वेतन श्रृंखला में नर्स-प्रथम के पद के पर पदोन्नत किया गया था। परन्तु इनके विरुद्ध विभागीय जांच विन्नाराधीन होने के कारण इनका लिफाफा सील्ड कवर किया गया। इनकी विभागीय जांच के निस्तारण में दोषमुक्त हो जाने के परिणामस्वरूप बन्द लिफाफा खोलते हुये इनका चयन नर्स-प्रथम के पद पर किया जाता है:-

क्रसं	नाम कर्मचारी	जाति वर्ग	जन्म तिथि	डीपीसी चयन वर्ष
1	श्री गोविन्द सिंह शेखावत	सामान्य	22/08/62	2013-14
2	श्री विमल कुमार विजय	सामान्य	27/08/66	2013-14
3	श्री राजेन्द्र कुमार साध	सामान्य	19/10/64	2013-14

उक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर

दिनांक: 30/06/17

क्रमांक: नर्सिंग/पदौ0/नर्स-1/(एफ-138)/17/136

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- ✓ 2. प्रभारी, सर्वररूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वैबसाईट पर इम्पोर्टेन्ट लेटर कॉलम में प्रकाशित करें।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर